

**न्यायालय-श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.कमांक-917/2012
संस्थित दिनांक-19.11.2012
फाईलिंग क.234503000022012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

रहमान उर्फ पप्पू मिस्त्री पिता रमजान खान, उम्र-37 वर्ष, जाति मुसलमान,
निवासी-वार्ड नंबर-8 बैहर, थाना बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-15/7/2015 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324, 498ए के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-21.09.2012 को दिन के 11:30 बजे, कम्पाउण्डरटोला, अंतर्गत थाना बैहर में फरियादी मोना को खतरनाक साधन के रूप में जलती हुई लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की, फरियादी मोना के पति होते हुए विवाह के पश्चात् से फरियादी मोना को मारपीट कर कूरता कारित की।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी मोना ने दिनांक-21.09.2012 को थाना बैहर में आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका विवाह 7 वर्ष पूर्व रहमान उर्फ पप्पू से हुआ था और उसके संसर्ग से उसे एक पुत्र व एक पुत्री का जन्म हुआ था। उसका पति शादी के बाद से ही उसके साथ मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। दिनांक-21.09.2012 को उसके पति ने उसे गंदी-गंदी गालियां देकर जलती हुई लकड़ी से उसके बाएं हाथ की कोहनी के उपर, दाहिने पैर, जांघ पिंडली पर मारा तथा हाथ-मुक्कों से भी मारपीट की, जिससे उसे बाएं हाथ, बाएं आंख के उपर चोट लगी थी। उसका पति अक्सर शराब पीकर उसके साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित करता था। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र बैहर में आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक-138/12, धारा-294, 323, 498ए भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया

गया। पुलिस द्वारा गवाहों के कथन लिये गये एवं आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान फरियादी ने आरोपी रमजान उर्फ पप्पू से राजीनामा कर लिया, परंतु शमनीय प्रकृति की धारा न होने से राजीनामा आवेदनपत्र निरस्त किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324, 498ए के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-21.09.2012 को दिन के 11:30 बजे, कम्पाउण्डरटोला, अंतर्गत थाना बैहर में फरियादी मोना को खतरनाक साधन के रूप में जलती हुई लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी मोना के पति होते हुए विवाह के पश्चात् से फरियादी मोना को मारपीट कर क्रूरता कारित की ?

विचारणीय बिन्दु कमांक-1 व 2 का निष्कर्ष :-

5— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी मोना उर्फ शबनम (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि घटना उसके बयान देने के एक वर्ष पूर्व की है। आरोपी रहमान उर्फ पप्पू उसका पति है, जिससे उसका विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। बच्चे को स्कूल से छोड़कर आने की बात पर से उसका आरोपी से मौखिक वाद-विवाद हो गया था, जिसके संबंध में उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 थाना बैहर में लेख कराई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। विवाद होने के कारण चक्कर आने से वह चूल्हे के पास गिर गई थी, जिससे उसे बांये हाथ की कोहनी में और दाहिने हाथ की जांघ, पिंडली में चोट आई थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बालाघाट में हुआ था। उसने पुलिस को प्रदर्श पी-2 के कथन नहीं दिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी ने उसे जलती हुई लकड़ी से बांए हाथ की कोहनी, जांघ एवं पिण्डली में मारा था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी द्वारा मारपीट से उसे चोटें आई थी। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि मारपीट एवं प्रताड़ना वाली बात प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में लेख कराई थी। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि पुलिस ने घटना का मौकानक्शा

प्रदर्श पी-2 उसके बताए अनुसार तैयार किया है। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 पुलिस को लेख कराए जाने से इंकार किया है।

6— डॉक्टर एन.एस. कुमरे (अ.सा.6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-21.09.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। थाना बैहर के आरक्षक रामसिंह द्वारा आहत मोना को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका चिकित्सीय परीक्षण करने पर उसने आहत के शरीर पर एक कंटूजन तथा छोटे आकार का एब्रेजन होना पाया था, जो उसकी बाईं भुजा पर बाहर की तरफ था। उसने आहत की जाघ पर कोई चोट नहीं पाई थी। साक्षी ने कहा है कि आहत को चक्कर आ रहे थे और घबराहट भी हो रही थी। साक्षी ने अपने अभिमत में कहा है कि आहत को आई चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो किसी कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी और उसके परीक्षण करने से 6 घंटे के अंदर की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि रक्तचाप बढ़ने से व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं और चक्कर के कारण गिर जाना संभव है।

7— अभियोजन साक्षी जगू वाघाड़े (अ.सा.5) ने कहा है कि वह दिनांक-21.09.2012 को प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसने फरियादी के बताए अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दर्ज की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट अपने मन से लेख की थी।

8— अभियोजन साक्षी मुन्नीबाई (अ.सा.2), निजामुद्दीन (अ.सा.4) ने अभियोजन कहानी के विपरीत यह कहा है कि उन्हें घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उनके बयान लेख नहीं किये थे। अभियोजन साक्षी मुन्नीबाई (अ.सा.2) ने पुलिस कथन प्रदर्श पी-4, शबाना (अ.सा.3) एवं निजामुद्दीन (अ.सा.4) ने अपने पुलिस कथन पुलिस को लेख कराए जाने से इंकार किया है।

9— प्रकरण में आरोपी एवं फरियादी के मध्य राजीनामा होने से राजीनामा आवेदनपत्र अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया। शमनीय प्रकृति की धारा न होने से राजीनामा आवेदनपत्र निरस्त किया गया। फरियादी मोना (अ.सा.1) का कहना है कि उसका आरोपी से उसका मौखिक वाद-विवाद हुआ था, जिसके विषय में उसने थाना बैहर में प्रदर्श पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साक्षी ने स्पष्टतः इंकार किया है कि आरोपी रमजान उर्फ पप्पू ने दहेज की मांग को लेकर उसके साथ कूरता कारित करने के आशय से उसके साथ मारपीट की थी। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी ने घटना

दिनांक को जलती हुई लकड़ी से उसके साथ मारपीट की थी। चिकित्सक साक्षी डॉ. एन.एस. कुमारे (अ.सा.6) ने चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 को प्रमाणित कर यह कहा है कि आहत का चिकित्सीय परीक्षण करने पर उसने उसे कड़ी एवं बोथरी वस्तु से चोटें आना पाई थी। चोट के विषय में आहत मोना (अ.सा.1) का कहना है कि चक्कर आ जाने से वह चूल्हे के पास गिर गई थी, जिससे उसे चोट आई थी। शेष अभियोजन साक्षी के कथनों से भी कोई तथ्य प्रकट नहीं हो रहा है, जिससे आरोपी द्वारा फरियादी मोना को जो जलती हुई लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई एवं दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर क्रूरता कारित की गई। ऐसी स्थिति में आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324, 498ए का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324, 498ए के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

10- प्रकरण में आरोपी दिनांक-21.09.2012 से दिनांक-29.09.2012 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

11- प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया। मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही/-

बैहर
दिनांक-15.07.2016

(श्रीधर कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, म0प्र0